30-12-21	पत्रावली पेश हुई अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-2-22 को
10-2-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 31-3-22 को पेश हों।
31-3-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-5-22 को पेश हों।
19-5-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया वास्ते बहस पत्रावली 31-5-22 को पेश हो पुनरुत्तर जवाब सरकार बंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।
31-5-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली निर्णीत की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
...केरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

67/दावा/2019
दायरा दिनांक 03.10.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. अजय सिंह आत्मज बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी पापडली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. विजय सिंह आत्मज बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी पापडली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट.।

उपस्थित :— 1.श्री बीएल बीडा एडवोकेट(वादीगण)।

—: निर्णय :— **दिनांक: — 31.05.2022**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा व दुरूस्ती का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र नौताडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 908 रकबा 0.47 हैक्ट0, ख0सं0 909/2 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है वादीगण सगे भाई है और उनके पिता द्वारा राजस्व रिकार्ड में अजय सिंह के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

स्थान पर हुक्मसिंह व विजयसिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उनके बचपन में घर पर बोलते नाम से वादीगण की नाबालिक अवस्था में लिखवा दिया। जबकि उनके वास्तविक नाम अजय सिंह व विजय सिंह है।राजस्व रिकार्ड को छोड अन्य समस्त रिकार्ड में वास्तविक नाम ही अकिंत है।

प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।अधिवक्ता वादीगण की बहस एक तरफा सुनी उनके द्वारा वाद में अकिंत कथन का दोहराव किया गया एवं सरपंच का प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए दुरूस्ती का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता पर मनन करने पर पाया कि राजस्व रिकार्ड में प्रारम्भ से ही वादीगण का नाम हुक्मसिंह व हिम्मत सिंह अकिंत है इस कारण प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही होना पाया परन्तु वादीगण अन्य रिकार्ड यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कक्षा दस प्रमाण पत्र ,सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड व इन प्रमाण पत्रों में वल्दियत पिता बहादुर सिंह व पता ग्राम पापडी होने के आधार पर यह दावा कि संदर्भित राजस्व रिकार्ड में अकिंत हुक्मसिंह व अजयसिंह एवं हिम्मत सिंह –विजयसिंह है पर संशय करने का कोई ठोस कारण अथवा अन्यथा साक्ष्य नही पाया।

अतः वादीगण का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 खाता संख्या 171 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नौताडा स्थित खसरा सं0 908 रकबा 0.47 हैक्ट0 व खसरा संख्या 909/2 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 के खातेदार कॉलम में दर्ज नाम श्री हुक्म सिंह पुत्र बहादुर सिंह एवं हिम्मतसिंह पुत्र बहादुरसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कियां जाकर उनके स्थान पर हुक्मसिंह उर्फ अजयसिंह पुत्र बहादुर साकिन पापडी हिस्सा 1/2 एवं श्री हिम्मतसिंह उर्फ विजयसिंह पुत्र बहादुर सिंह साकिन पापडी हिस्सा 1/2 का सयुंक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

फैसला आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम.........................लाखेरी.................व इजलास...............श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1.अजयसिंह आ0 बहादुरसिंह जाति राजपूत नि0 पापडली. **बनाम.**1...राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ
तहसील इन्द्रगढ (बूंदी) जिला बून्दी राज0

दावा बाबत 88,89 आर0 टी0 एक्ट व 136एल0आर0एक्ट.........
मुकदमा नम्बर..................................99/दावा/2021......................................सन...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..हमरे..
......व हाजिरी

1.श्री बीएल बीडा एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रूबरू...एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 खाता संख्या 171 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नौताडा स्थित खसरा सं0 908 रकबा 0.47 हैक्ट0 व खसरा संख्या 909/2 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 के खातेदार कॉलम में दर्ज नाम श्री हुक्म सिंह पुत्र बहादुर सिंह एवं हिम्मतसिंह पुत्र बहादुरसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर हुक्मसिंह उर्फ अजयसिंह पुत्र बहादुर साकिन पापडी हिस्सा 1/2 एवं श्री हिम्मतसिंह उर्फ विजयसिंह पुत्र बहादुर सिंह साकिन पापडी हिस्सा 1/2 का सयुंक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ....निज.......................................मुबलिग...बाबत..............
..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...31.......माह..........05................. सन...2022......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

(3) वादी संख्या

2. विजय सिंह आत्मज बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी पापडली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)